सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 02.11.2026

TAKING A BITE OUT OF CRIME 24/7

- **थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत होटल में घुसकर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले 25,000/- के इनामियां वांछिंत अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्रीमती बबीता सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश सिंह के नेतृत्व थाना सिविल लाइन द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.10.2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत सिया देवी हॉस्पिटल के पास स्थित एक होटल में अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के साथ मारपीट करने, जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने एवं होटल का गेट क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 30.10.2026 को वादी दुर्गेश कुमार पुत्र लायक सिंह निवासी ग्राम सराय दयानत, थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 186/2026 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/333/352/351(3)/324(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिवधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 01/02.11.2026 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र रमेशचन्द्र को सराय भूपत कटेखेड़ा रोड पर पानी की टंकी के पास गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.10.2026 को वह अपने साथियों के साथ इटावा आया था। इस दौरान अंकित यादव उर्फ एल0एल0 की पूर्व रंजिश के चलते सभी लोग दुर्गेश कुमार के होटल पर पहुंचे तथा कार से दुर्गेश को टक्कर मारने का प्रयास किया गया तथा होटल के अंदर घुसकर फायरिंग की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

आलोक कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम नगला भगत, थाना जसवन्तनगर, जनपद इटावा, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 186/2026 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/333/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा .315 बोर।
2. 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

पुलिस टीम: प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्र थाना सिविल लाइन, उ0नि0 श्री मनीष कुमार, का0 कर्मवीर सिंह, का0 विकास शुक्ला।


थाना